न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 141/2024	जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/108
दायर दिनांक :– 19.07.2024	निर्णय दिनांक :– 22.12.2024

प्रार्थी

रूगनाथ पुत्र धूड़ाराम

जाति विश्नोई निवासी भोजासर

तहसील घंटियाली जिला फलोदी

बनाम

अप्रार्थीगण

01. परमेश्वरी पत्नि रतनाराम
02. बनवारीलाल पुत्र सुण्डाराम
03. भागीरथराम पुत्र सुण्डाराम
04. राजाराम पुत्र सुण्डाराम
05. रतनाराम पुत्र धूड़ाराम
    फौत के कायम मुकाम

5/1 भीखाराम पुत्र धूड़ाराम

5/2 कुलदीप पुत्र धूड़ाराम

06. तेजा पुत्र सुरता
07. लेखाराम पुत्र सुरताराम
    जाति विश्नोई नि. भोजासर
    तह. घंटियाली जिला फलेदी
08. कौशल्या पत्नि सोहनलाल
09. मनिषा पत्नि सोहनलाल
10. गीता पत्नि अनोपाराम
    जाति विश्नोई
    नि. जम्भेश्वरनगर जाजीवाला
    विश्नोईयां तहसील जोधपुर
11. उगरी पुत्री जेताराम
12. ऐलची पुत्री सावंताराम
13. कमला पुत्री सावंताराम
14. काना पुत्र खेता
15. खमूराम पुत्र बगताराम
16. गंगाराम पुत्र बगताराम
17. गोपीराम पुत्र जीयाराम
18. जुगताराम पुत्र प्रहलादराम
19. जीवनराम पुत्र सावंताराम

22/12/24

20. जोधाराम पुत्र जीयाराम
21. जोराराम पुत्र खेताराम
22. पतासी पुत्री सावंताराम
23. बलवन्ताराम पुत्र जीयाराम
24. बाधू पुत्री सावंताराम
25. बाबुराम पुत्र जीयाराम
26. भूराराम पुत्र बगताराम
27. भागीरथराम पुत्र जुगताराम
28. मीरा पुत्री सावंताराम
29. लक्ष्मी पुत्री सावंताराम
30. श्रवणकुमार पुत्र जुगताराम
31. सुखराम पुत्र सावंताराम
32. हड़मानराम पुत्र जीयाराम
33. हनुमान पुत्र जुगताराम
34. हरदास पुत्र बरसिंगा

जाति विश्नोई निवासी नेंवा

तहसील बाप जिला फलोदी

35. पांचाराम पुत्र खेताराम फौत के कायम मुकाम

35/1. हडमानराम पुत्र पांचाराम

35/2 बाबुराम पुत्र पांचाराम

35/3 भंवरलाल पुत्र पांचाराम

35/4 हेमाराम पुत्र पांचाराम

जाति विश्नोई निवासी नेंवा

तहसील बाप जिला फलोदी

36. श्रीमान तहसीलदार, बाप

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 156/9 रकबा 6.4750 हैक्टेयर सरहद मौजा नेंवा पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का राजस्व रेकार्ड जमाबंदी अनुसार उक्त भूमि पर

कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है और प्रार्थी ने अपने हिस्से की भूमि पर अपनी रहवासीय ढाणी, पानी का टांका, पशुओं का बाड़ा इत्यादि बना रखे है। उक्त रहवासीय ढाणी में प्रार्थी अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करते आ रहे है। प्रार्थी ने अपनी उक्त खातेदारी की भूमि की भूमि पैमाईश करवाने हेतु श्रीमान तहसीलदार साहब बाप के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया और तहसीलदार साहब (भू.अ.) बाप ने कमांक 215 दिनांक 01.06.2024 को उक्त भूमि की पैमाईश करने के आदेश पटवारी हल्का को दिये। पटवारी हल्का उक्त आदेश की पालना में दिनांक 06.06.2024 को मौके पर जाकर प्रार्थी व पडौसी खातेदारों की उपस्थिति में उक्त भूमि की पैमाईश मुस्तकिल बिंदु से कर मौका फर्द तैयार कर प्रार्थी एवं उपस्थित मौतबीरान को पढ कर सुनाया गया। उक्त पैमाईश फर्द नियमानुसार तहसील कार्यालय में जमा करवा दी। प्रार्थी जब पैमाईश अनुसार अपनी भूमि के चारों ओर खूंटे रोपने लगा तो उक्त भूमि के पड़ौसी खातेदार अप्रार्थीगण सं. 1 ता 35 ने पैमाईश प्रार्थी की हद में खूंटे रोपने से मना कर दिया और उक्त पैमाईश को मानने से इन्कार कर दिया। प्रार्थी अपनी खातेदारी की उक्त भूमि में बरसात के मौसम में काश्त करता है तब उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थी द्वारा की गई काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है और प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति हो रही है। इसलिये प्रार्थी ग्राम नेंवा पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 156/9 रकबा 6.4750 हैक्टेयर भूमि की हुई भूमि पैमाईश अनुसार प्रार्थी अपनी हद में पत्थरगढी करवाना चाहते है। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 36 पैरोकार सरकार ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 35 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम नेवा पटवार हल्का कानासर तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 156/9 रकबा 6.4750 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थी द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि पैमाईश फर्द दिनांक 06.06.2024 अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम नेवा पटवार हल्का कानासर तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 156/9 रकबा 6.4750 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का खातेदार है

रकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थर गढ़ी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए प्रार्थी पैमाईश फर्द दिनांक 06.06.2024 अनुसार पत्थरगढ़ी करवाने के हकदार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम नेवा पटवार हल्का कानासर तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 156/9 रकबा 6.4750 हैक्टेयर भूमि की पत्थर गडढी मौका फर्द दिनांक 06.06.2024 अनुसार पडोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार बाप उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थर गडढी करवावे। अगर आवश्यकता हो तो शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)